


राधेश्याम बनाम रामवतार वगै०
मु०नं० 192/2017
अ०धा० 88, 53

दिनांक -27.01.2020 वाद वादी अनुसार राजीनामा डिकी किया जाकर भूमि ख.नं. 811 रकबा 1.02 है० वाके मौजा सूरजगढ़ का पक्षकारान को राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी नं. 1 रामवतार पुत्र भूरामल को 1/2 हिस्से का व वादी राधेश्याम एवं प्रतिवादी नं. 2 सतीश को 1/4-1/4 हिस्से का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय एण्ड डिकी का भाग रहेगा। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह राजीनामा के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिकी मुर्तिब हो।


(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

